ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 170-172**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

मनरेगा में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन (स्टेट कौसानी के विशेष संदर्भ में)

1. कु0 चेतना आर्या
2. प्रो0 इला शाह

शोध अध्येत्री–समाजशास्त्र विभाग, सोबन सिंह 'जीना कैम्पस' अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) भारत

Received-13.03.2025, Revised-20.03.2025 Accepted-27.03.2025 E-mail : chetnaarya117@gmail.com

सारांशः प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य मनरेगा में कार्यरत लोगों के जीवन में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना है, इसके लिए जनपद बागेश्वर के ब्लॉक गरूड के कौसानी स्टेट अध्ययन को क्षेत्र के रूप में चुना गया है। क्योंकि अध्ययन जॉब कार्ड धारकों पर केन्द्रित है कौसानी स्टेट में इनकी संख्या काफी अधिक हैं

प्राचीन कालीन भारतीय ग्रामीण व्यवस्था प्रत्यके सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लघु समुदायों पर आधारित थी। ग्रामीणों में पारस्परिक सहयोग व हित की भावना नही थी यहां तक की आर्थिक हित भी एक दूसरे के सहयोग से पूरे किये जाते थे। राजनीतिक व्यवस्था में पंचायतों का निर्माण लोगों की आवश्यकताओं को ग्राम स्तर पर ही पूर्ण किये जाने की व्यवस्था थी और जजमानी व्यवस्था श्रम विभाजन का प्रमुख आधार थी "इस व्यवस्था में गांव में हर एक जाति समूह में अन्य जातियों के परिवारों के लिए विशेष निश्चित सेवाओं की आशा की जाती थी"।

कुंजीभूत शब्द– मनरेगा, जॉब कार्ड, प्राचीन काल, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण

19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल के पश्चात् परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और इससे परम्परागत शक्ति संरचना, संयुक्त परिवार, जमींदारी प्रथा, जजमानी व्यवस्था, कृषि, व्यवसाय, जनमत सभी ग्रामीण विशेषताओं का विघटन होने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का ध्यान पलायन की रोकथाम, ग्रामीण विकास के उत्थान की ओर केन्द्रित हुआ और ग्रामीण व्यवस्था व संरचना को व्यवस्थित व सुदृढ़ करने के लिए तीव्रता से प्रयास किये जाने लगे। गांधी जी के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया जाने लगा उनके विचार थे, "कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है।" पंचवर्षीय सामुदायिक योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था, अन्त्योदय सम्भावित ग्रामीण विकास योजना एवं मनरेगा (नरेगा) जैसी योजनाओं को क्रियान्वित कर गांवों की दशा व दिशा को सुधारने का प्रयास किया जाने लगा।

मनरेगा योजना को पूर्व में 'नरेगा' नाम से जाना जाता था लेकिल 2 अक्टूबर वर्ष 2009 में इसका नाम बदलकर 'मनरेगा' कर दिया गया 'मनरेगा एक अधिकार आधारित मांग समर्थित और स्वयं चयन योजना है जो रोजगार पैदा करने की दिशा में भारत के प्रयासों में होने वाले बदलाव का प्रतीक है। इसे 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बदला पल्ली ग्राम पंचायत में इसका शुभारम्भ तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। प्रारम्भ में 200 जिलों में उपलब्ध होने के पश्चात 2007–08 में इस कानून का विस्तार 274 अतिरिक्त सभी जिलों में किया गया"।[2]

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी को कम करने के साथ–साथ सामाजिक समानता व समरसता को विकसित करना था लिंग भेद को कम करने के लिए 33 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को देकर उन्हें सशक्त करना भी इसका उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है जो वर्तमान जीवन जीने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में पलायन ग्रामीणों की प्रमुख आवश्यकता बन जाती है। अतः पलायन की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही ग्रामीणों को रोजगार दिलाने की यह एक महत्वपूर्ण योजना है।

मनरेगा योजना जिन उद्देश्यों को साथ लेकर चली है उनमें मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धनों की आजीविका को मजबूत बनाना, निर्धनता दूर करना, रोजगार के अवसरों की निरन्तरता पलायन की रोकथाम, महिलाओं को सशक्त बनाना, घरों की आर्थिक आय में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को पुनःजीवित कर सफलता हासिल करना व ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। यह एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण जीवन स्तर को ऊँचा करने में सहायता प्रदान कर रही है।

समय–समय पर विद्वानों द्वारा इसके महत्व, उपयोगिता व सरकारी सराहनीय प्रयास के संबंध में अपने–अपने विचारों को व्यक्त किया जाता रहा है।

वासुदेव लावनिया (2006) ने अपने शोध पत्र 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में स्पष्ट किया है कि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण सामाजिक दर्शन एवं दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि भारत गांव में बसता है, उसकी लगभग तीन चौथाई जनता ग्रामीण है, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत का यदि वास्तविक दर्शन करना है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में नहीं गांवों में जाकर कीजिए जहां गरीबी, बेकारी की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति वाले देश के लिए कृषि विकास के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन की अनिवार्यता को नकारा नहीं किया जा सकता।[3]

रघुवंश प्रताप सिंह (2008) ने स्पष्ट किया है, कि नरेगा 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिलों के बदलापल्ली ग्राम पंचायत से इसका शुभारंभ किया। प्रथम चरण में यह सुविधा 200 जिलों में उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2007–08 में इस कानून का विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में किया गया तथा देश के सभी जिलों को इसमें शामिल करने की अधिसूचना 1 अप्रैल, 2008 को जारी की गई।[4]

अमित कुमार (2010) ने अपने शोध पत्र 'नरेगा आर्थिक विकास की कुंजी' में स्पष्ट किया है, कि नरेगा के तहत वैसे तमाम गरीब लोगों जो आर्थिक तंगी के कारण मूल धारा से अपेक्षित हैं, उन्हें विकास एवं रोजगार परक योजनाओं के तहत कम से कम 100 दिनों के काम का प्रावधान है, यह कई अर्थों में सरकारी योजनाओं से भिन्न है, यह एक समाजवादी कदम है, नरेगा वास्तव में मुख्य धारा में मेहरूम हो चुके लोगों को इसमें लाने के लिए एक सक्षम औजार साबित हुआ है।[5]

विक्रम सिंह (2014) ने अपने शोध पत्र 'भारत में ग्रामीण विकास में मनरेगा के योगदान एवं चुनौतियां' में स्पष्ट किया है, कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य 'हर हाथ को काम और काम को पूरा दाम' की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए यह कानून लोगों के रोजगार के अपने संवैधानिक अधिकार के बुनियादी पहलुओं के बारे में सरकार के दावे करने के योग्य बनाता है।[6]

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

जनपद बागेश्वर के ब्लॉक गरूड के कौसानी स्टेट में मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की संख्या जॉब कार्ड धारकों के रूप में सर्वाधिक है। अतः मनरेगा अपने लक्ष्यों पर सही परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ है या कुछ समस्याएं भी श्रमिकों में व्याप्त है जिन्हें जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध अन्वेषणात्मक व वर्णात्मक शोध अभिकल्प पर केन्द्रित है, कौसानी स्टेट सर्वाधिक जॉब कार्ड धारक ग्राम पंचायत के साथ ही पर्वतीय पर्यटन स्थल है। महात्मा गांधी जी के नाम पर यहां अनाशक्ति आश्रम स्थापित है। यह 42.92 हेक्टेयर में फैला है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 2,408 है जिसमें 1195 पुरूष और 1213 महिलाएं सम्मिलित हैं। (स्रोत जनगणना 2011) यहां की साक्षरता दर 87.80 प्रतिशत है।

प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक व वर्णात्मक शोध प्रारचना का प्रयोग किया है। कौसानी स्टेट में मनरेगा में कार्यरत इन जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या श्रमिक उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 307 है। वैज्ञानिकता के लिए इन श्रमिकों के 20 प्रतिशत श्रमिकों को दैव निदर्शन की लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन किया गया जिनकी संख्या 62 है। अतः शोध पत्र 62 इकाईयों पर केन्द्रित है, प्राथमिक तथ्यों के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूचित तैयार कर विभिन्न समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है जबकि द्वितीयक तथ्यों के रूप में संबंधित साहित्य को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रदर्शित किया है।

सर्वप्रथम जानने का प्रयास किया गया है के समस्त जॉब कार्ड धारक इस योजना से संतुष्ट हैं जिसमें 59.67 प्रतिशत ने संतुष्ट होना, 22.58 प्रतिशत ने असंतुष्ट होना स्वीकार किया है। जबकि श्रमिकों का 17.75 प्रतिशत तटस्थता की स्थिति में पाया गया।

"मनरेगा के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है यदि किसी परिवार में कोई वयस्क सदस्य कुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वितत्तीय वर्ष की आबादी में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।" इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए जानने चाहा कि क्या प्रत्येक जॉब कार्ड धारक 100 दिन के रोजगार का लाभ लेता है या नियमानुसार दिन का रोजगार प्राप्त होता है प्रत्युत्तर में 58.06 प्रतिशत ने पूरे 100 दिन का रोजगार मिलना 35.84 प्रतिशत पूरे दिन का रोजगार कभी मिलना कभी नहीं तो 6.46 प्रतिशत ने इस विषय में कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने तटस्थता विकल्प का चयन किया।

सभी उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया कि मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन 33.87 प्रतिशत का कहना था कि धनराशि के आते ही कुछ प्रतिशत उन बिचौलियों को देना पड़ता है जिनके माध्यम से उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है, 66.13 प्रतिशत ने इस बात से अस्वीकार किया है। इसी प्रकार मजदूरी समय से न मिल पाने की समस्याओं को भी उजागर किया, सेजल सोनी ने स्पष्ट किया है कि "एक अध्ययन से पता चला है कि मनरेगा के तहत किये जाने वाले 78 प्रतिशत भुगतान समय पर नहीं किये जाते"7 चयनित उत्तरदाताओं को 79 प्रतिशत का कहना है कि कभी मजदूरी समय पर तो कभी–कभी विलम्ब से प्राप्त होती है। विलम्ब से प्राप्त होना तुलनात्मक रूप से अधिक पाया गया।

मनरेगा मजदूरों को अवकाश की सुविधा ना होना, सरकारी कागजों पर वर्णित बच्चों की देख भाल की व्यवस्था का अभाव, शौचालय की असुविधा जैसी अनेक समस्याएँ भी कौसानी स्टेट में कार्यरत श्रमिकों द्वारा बतलायी गयी। 100 प्रतिशत श्रमिकों द्वारा अवकाश का न मिलना, 20 प्रतिशत ने शौचालय की कोई व्यवस्था न होना और छोटे–छोटे बच्चों को कार्य करते समय पीठ में बांधकर कार्य करने की बात कहकर इस समस्याओं की पुष्टि की गयी है।

इसके अतिरिक्त कार्यावधि की अधिकता व पारश्रमिक कम मिलने जैसी समस्याओं को भी इनके द्वारा सांझा किया गया, 82. 25 प्रतिशत का मानना था कि कार्यावधि को कम किया जाना चाहिए। 14.51 प्रतिशत ठीक है तथा 3.24 प्रतिशत ने पता नहीं में अपने विचार प्रस्तुत किये। इस उत्तर में सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का पाया गया। उनका मानना था कि रोजगार की उन्हें नितांत आवश्यकता है लेकिन जल, जंगल,परिवार सभी की देखभाल उन्हीं की जिम्मेदारी होने के कारण वे शारीरिक रूप से स्वयं को कमजोर पाती हैं। अतः समयावधि कम होनी चाहिए। साथ ही 97 प्रतिशत का मानना था कि कार्यावाधि के अनुसार मजदूरी कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए जबकि 3 प्रतिशत ने अपना उत्तर कह नहीं सकते में दिया।

कोरोना काल के संकट ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया और सामाजिक संरचना को भी ध्वस्त करने का कार्य किया। "इसने समाज बदल दिया, समाज की आत्मा मार दी, कारोबार, व्यापार ठप्प कर दिया था ये कहा जाय कि कोनोना ने सारी दुनियां ही बदल दी"8 कुमाँऊं का ग्रामीण अपर्याप्त कृषि के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पलायन करता है और शिक्षा की कमी के कारण उन्हें छोट–छोटे होटल, दुकान या उद्योगों में ही कार्य मिल पाता है। कोविड–19 के समय जब सम्पूर्ण दुनिया लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजर रही थी उस समय मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों के जीवन में भी इसका प्रभाव देखा गया। सर्वप्रथम मानव जीवन की सुरक्षा के लिए सारे कामों को बंद कर दिया गया, ऐसे में मनरेगा मजदूरों का काम बंद हुआ और उधर घर से रोजी–रोटी के लिए गये लोगों को घर लौटना पड़ा ये इन पर दोहरी मार रही इसी संबंध में जानने का प्रयास किया गया कि कोरोना काल में आपकी मजदूरी या काम भी प्रभावित हुआ सम्पूर्ण 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा इसे स्वीकार किया गया।

उत्तरदाताअें का मानना है कि सर्वाधिक समस्या उन्हें कोविड–19 में लगे लॉकडाउन की प्रक्रिया में आयी क्योंकि काम बंद होने के कारण इनके समक्ष स्वयं व परिवार की रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हुआ तत्कालीन स्थितियां अत्यधिक दयनीय रही। पूछे जाने पर कि उस समय सरकार द्वारा मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी थी। इनका प्रतिशत 13.96 ने कहा कि उन्हे केवल भोजन तो मिल रहा था लेकिन मजदूरी की कोई व्यवस्था नहीं थी जबकि 79.03 ने किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था होने को अस्वीकार किया।

कोविड–19 में लगे लॉकडाउन की दहशत ने ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन किये छोटे–छोटे रोजगार करने वालों के हाथों से केवल काम ही नहीं छिना बल्कि भय व मानसिक तनाव, घबराहट की स्थिति भी उनमें देखी गयी, कुछ लोगों को पुनः रोजगार का अवसर न मिल पाने के कारण उन्होंने उस क्षेत्र में न जाकर घर पर ही रहने का लक्ष्य स्थापित कर लिया, जानने पर पता चला है कि 23 परिवार ऐसे पाये गये जहां लोग लौट कर आये और वही पर निवास करने लगे जबकि 39 परिवार के लोग वापस गये हैं उत्तरदाताओं का मानना है कि घर लौटे लोगों के आने से भी आर्थिक बोझ बढ़ गया और सम्पूर्ण पारिवारिक संरचना गड़बड़ा गयी। पारिवारिक कलह के साथ ही घरेलू हिंसा और नेशे की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई।

उत्तरदाताओं के 44 प्रतिशत लोगों ने अपनी समस्या स्पष्ट करते हुए बतलाया कि कोविड–19 के दौरान लौटे हुए लोगों को भी मनरेगा में कार्य मिलने से उनके परिवार में कार्य करने वालों की संख्या कम हुअ जबकि 18 प्रतिशत लोगों ने स्पष्ट किया कि

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

कोरोना काल में जो लौट कर आये थे उन्हें भी मनरेगा में कार्य मिला लेकिन उनको कार्यों में इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा अलग–अलग शोधकर्ताओं व संगठनों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों के सर्वेक्षण से मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार का पता लगा है। इससे डर कर राज्य सरकारों ने पंचायतों को अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के अनुमति दे दी।''9 अतः इस संबधं में भी उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे मानते हैं कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार होता है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से 97 प्रतिशत लोगों ने हाँ तथा 3 प्रतिशत ने पता नहीं में अपने विचारों को प्रस्तुत किया जबकि भ्रष्टाचार न होने की बात कहने वालों का प्रतिशत शून्य पाया गया।

उत्तरदाताओं का कहना है कि कई बार मनरेगा योजना में कार्य करते हुए उनके समक्ष जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने का मन तो बनाते हैं लेकिन कार्यमुक्त कर देने या रोजी–रोटी छिन जाने का भय उन्हें ऐसा साहस करने से रोक देता है। क्योंकि 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार की शिकायत न करने तथा 14 प्रतिशत ने शिकायत करने पर भी उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होने की बात कही है।

आज भी 77 प्रतिशत लोग मानते है कि यद्यपि ये योजना गरीबों के लिए बनी है तथापि सरकार द्वारा चलाई गयी इस योजना का लाभ गरीबों तक नियमानुसार नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि यह आज भी कुछ अमीरों के नियंत्रण में स्थापित है जबकि 23 प्रतिशत इससे असहमत हैं।

अतः स्पष्ट है कि सरकार द्वारा गरीबों, पिछड़ों व कमजोर तपकों को जोड़ने के लिए जिस मनरेगा की योजना को लाया गया धरातल या व्यवहारिक रूप से उसमें विभिन्न समस्याएं आज भी देखने को मिलती हैं। ऐसे उत्तरदाताओं द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करने के आधार पर कहा जा सकता है इन समस्याओं का प्रमुख कारण, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षा, जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार, आपसी बात को न कह पाने की कमी अथवा बात कहे जाने पर किसी प्रकार की सुनवाई का न होना है। इसके साथ ही योजना जैसे चल रही है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना। इन ग्रामीणों की मजबूरी है क्योंकि उनके परिवारिक की आर्थिक स्थिति का यह एक सशक्त स्तम्भ है। जिसे वे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते अतः जो मिल रहा जैसा मिल रहा और जितना मिल रहा उसे अपना भाग्य अथवा नियति समझकर इन्हें अपनी सभी समस्याओं को दरकिनार कर संतुष्ट रहना पड़ता है। जो सबसे बड़ी समस्या है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. 'लेविस आस्कर' 'जमजमानी सिस्टम' 1958, पृ0 64
2. सिंह रघुवंश प्रसाद 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटीं कानून के दो साल' योजना, अगस्त 2008, पृ0–7
3. लावनिया वासुदेव, ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के दो साल' योजना अगस्त 2008, पृ0 8
4. सिंह रघुवंश प्रसाद, '' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के दो साल' योजना अगस्त 2008, पृ0 7
5. कुमार अमित एंव सिंह लाल जवाहर ''नरेगा–आर्थिक विकास की कुंजी The Social Profile a research Jornal of Soual, Vol 14 Dec-2010.
6. सिंह, विक्रम, 'भारत में ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदार एंव चुनौतियां', राधाकमल मुखर्जी, चिन्तंन परम्परा वर्ष 16 अंक 1 जनवरी–जून 2014, पृ0 167
7. सोनी सेजल, 'मनरेगा से सामाजिक–आर्थिक विकास, ब्लू रोज पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृ0सं0 46
8. प्रो0 इला शाह एवं जोशी ललित, –' कोविड–19 समाज एवं मिडिया', गोल्ज्यू पबिलशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स अल्मोड़ा, पृ0सं0 5–6।
9. सोनी सेजल, मनरेगा से सामाजिक–आर्थिक विकास, ब्लू रोज पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृ0सं0 46

*****